

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,  
सहारनपुर।

*60वीं बोर्ड बैठक*

विचाराधीन विषयों  
की सूची

दिनांक : 03.09.2020

समय : अपरान्ह 5.30 बजे

स्थान : कैम्प कार्यालय

आयुक्त, सहारनपुर मण्डल,  
सहारनपुर।

## विषय सूची

एजेन्डा आईटम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
60/01	दिनांक 14.02.2020 को सम्पन्न हुई 58वीं बोर्ड बैठक एवं परिचालन के माध्यम सम्पन्न हुई 59वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	1
60/02	दिनांक 14.02.2020 को सम्पन्न हुई 58वीं बोर्ड बैठक एवं परिचालन के माध्यम सम्पन्न हुई 59वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	2 - 6
60/03	सहारनपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित बाई पास के दोनों ओर स्थित ग्रामों का भू-उपयोग सहारनपुर महायोजना-2031 में निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	7 - 9
60/04	सहारनपुर विकास क्षेत्र में मिश्रित आवासीय/आवासीय भू-उपयोग में अवैध रूप से विकसित 44 कालोनियों के विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	10 - 17
60/05	प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे कार्यों/परियोजनाओं में 10 प्रतिशत से अधिक के विचलन की स्थिति में विचलन का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से कराये जाने के सम्बन्ध में।	18 - 19
	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	

## एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 60/01

विषय : दिनांक 14.02.2020 को सम्पन्न हुई 58वीं बोर्ड बैठक एवं परिचालन के माध्यम सम्पन्न हुई 59वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

उपर्युक्त बैठकों के कार्यवृत्त की प्रति प्राधिकरण बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

## एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 60/02

विषय : दिनांक 14.02.2020 को सम्पन्न हुई 58वीं बोर्ड बैठक एवं परिचालन के माध्यम सम्पन्न हुई 59वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

दिनांक 14.02.2020 को सम्पन्न हुई 58वीं बोर्ड बैठक

एजेन्डा आईटम संख्या	विषय	अनुपालन आख्या
58/01	दिनांक 21-08-2019 को सम्पन्न हुई 57वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	अनुपालन अवशेष नहीं है।
58/02	दिनांक 21-08-2019 को सम्पन्न हुई 57वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	
	एजेन्डा आईटम सं०- 57/06 पर मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये जा रहे मानचित्रों में नियमानुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना सुनिश्चित कराने के संबंध में विकास प्राधिकरण के गठन से अब तक 300 वर्गमी० या उससे ऊपर के स्वीकृत मानचित्रों की सूची तैयार करते हुए प्रश्नगत स्थलों पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्थापित कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि भवन स्वामी द्वारा स्वयं रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना नहीं की जाती है तो प्राधिकरण अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना कराना सुनिश्चित करें तथा उस हुए व्यय को भवन स्वामी से वसूल करें।	मा० बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि सहारनपुर क्षेत्रान्तर्गत संकलित किये गये विवरणानुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना/प्राविधान कराये जाने के सम्बन्ध में कुल 151 नोटिस जारी किये गये, के सापेक्ष 59 रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्थापित कराये जा चुके हैं तथा 04 रेनवाटर हार्वेस्टिंग क्रियान्वयन प्रगति पर है। उपरोक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि 44 भूखण्ड रिक्त/निर्माणाधीन है। रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्थापित कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
	एजेन्डा आईटम सं०- 57/07 पर मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हकीकत नगर स्थित सामुदायिक केन्द्र के संचालन हेतु जनसामान्य को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से संचालन/रख-रखाव आदि की कार्यवाही हेतु विगत वर्षों में आय एवं व्यय के ब्योरे के साथ गाइडलाइन्स तैयार करते हुये कार्यवाही की जाये।	मा० बोर्ड द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में "सामुदायिक केन्द्र को 03 वर्ष हेतु किराये पर उठाये जाने के सम्बन्ध में ई-निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाश दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से कराते हुए दिनांक 30.07.2020 एवं 19.08.2020 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके अन्तर्गत कोई भी निविदा प्राप्त न होने के कारण दिनांक 11.09.2020 हेतु पुनः अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रित की गई है।

<p>मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पूर्व में विनियमित की गयी 44 कॉलोनियों के शमन मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु पुनः समाचार पत्रों में विज्ञापित निकालें। अवर अभियन्तावार सर्वे करने एवं लक्ष्य निर्धारित कराते हुए सभी भवनों को शमन मानचित्र स्वीकृत कराने की कार्यवाही करते हुए राजस्व प्राप्त किया जाये। यदि भवन स्वामियों द्वारा शमन मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया जाता है तो आंकलित शमन शुल्क को आर0सी0 जारी कर वसूली हेतु कार्यवाही की जाये।</p>	<p>मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि सहारनपुर विकास क्षेत्रान्तर्गत प्राधिकरण द्वारा 44 कॉलोनियों के शमन मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु पुनः समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित कराते हुए अवर अभियन्तावार सर्वे किया गया। उक्त कॉलोनियों में निर्मित भवनों का चिन्हीकरण करते हुए निर्माणकर्ताओं को शमन कराने हेतु नोटिस दिये गये।</p> <p>उपरोक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि जनसामान्य की समस्याओं के निराकरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना-2020 आगामी छः माह के लिए लागू की गयी है। अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण एवं 44 कॉलोनियों में भवनों के शमनीकरण हेतु जनसामान्य को विज्ञापित प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया गया है एवं शमन योजना-2020 के अन्तर्गत शमन मानचित्रों के जमा किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।</p>
<p>मा0 अध्यक्ष महोदय निर्देशित किया गया कि श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों के आवंटन के सत्यापन के संबंध में नगर निगम का वरिष्ठ अधिकारी, डूडा का अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट की एक समिति बनाकर जिलाधिकारी, सहारनपुर के निर्देशानुसार सत्यापन कराते हुए अवैध रूप से काबिज लागों से मकान खाली कराते हुए पुनः आवंटित किये जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जाये।</p>	<p>मा0 आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में समिति का गठन करने हेतु जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर से किये गये अनुरोध के क्रम में प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय/अपर जिलाधिकारी(प्र0), सहारनपुर) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 464/एल0वी0सी0 दिनांक 22.06.2020 के द्वारा श्री राकेश कुमार, डिप्टी कलेक्टर, सहारनपुर(अध्यक्ष), तहसीलदार सदर(सदस्य), श्री विनय शर्मा, टी0एस0, नगर निगम, सहारनपुर(सदस्य), अवर अभियन्ता डूडा कार्यालय, सहारनपुर(सदस्य) एवं सम्वन्धित अवर अभियन्ता, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर (सदस्य) को नामित करते हुए मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों के आवंटन का सत्यापन कराते हुए अवैध रूप से काबिज लोगों से भवन खाली कराकर पुनः आवंटन हेतु आख्या प्रस्तुत किये जाने के सम्वन्ध में निर्देशित किया गया। उक्तानुसार निर्देशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे/सत्यापन कर लिया गया है तथा सूचीबद्ध करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी (प्र0/प्रभारीअधिकारी (स्था0नि0)) को प्रेषित किया गया है।</p>

58/03	वित्तीय वर्ष 2018-19 की बैलेंस शीट, वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.12.2019 तक के वास्तविक आंकड़ें एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित आय-व्यय अनुमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अनुपालन में विकास प्राधिकरण की रिक्त सम्पत्तियों का स्पष्ट विवरण परिचालन के माध्यम से आहूत विकास प्राधिकरण की 59वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया।
58/04	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1646/8-3-18-34विधि/08 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।	शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। कोई अनुपालन अवशेष नहीं है।
58/05	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के निकट निर्मित भवनों को संशोधित गणना के आधार पर पहले आओ- पहले पाओ के माध्यम से विक्रय किये जाने के संबंध में।	अफॉडेबल योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों का पहले आओ - पहले पाओ के आधार पर विक्रय हेतु कार्यवाही जारी है जिसके लिए विज्ञप्ति दिनांक 13.03.20, 14.03.20, 18.06.20 एवं पुनः दिनांक 22.08.2020 को समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी है तथा अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।
58/06	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक भूखण्डों का विभाजन करने के सम्बन्ध में।	ट्रांसपोर्ट नगर के व्यवसायिक बड़े भूखण्डों को छोटे-छोटे भूखण्डों में विभाजित कर निलामी के माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में 23 भूखण्डों का निलामी प्रक्रिया से विक्रय किया गया है जिनकी कुल कीमत लगभग ₹0 789.39 लाख है। उक्त भूखण्डों के विक्रय से 10 प्रतिशत धनराशि के रूप में ₹0 76.86 लाख प्राधिकरण कोष में जमा किया जा चुका है। अवशेष भूखण्डों के निलामी की प्रक्रिया प्रत्येक मंगलवार को की जा रही है।
58/07	सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा ग्राम दरा शिवपुरी स्वाद बैरुन की अर्बन सीलिंग की खसरा संख्या 24मि0, 5मि0, 20मि0 व 21मि0 का कुल रकबा 4369.44 वर्गमी0 प्राधिकरण को हस्तान्तरित भूमि का नियोजन उपरान्त योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।	रूद्राक्ष आवासीय योजना में 16 भूखण्डों के विक्रय हेतु डिमाण्ड सर्वे दिनांक 22.06.2020 से 21.07.2020 तक किया गया जिसमें कुल 235 आवेदन प्राप्त हुये है। प्रश्नगत योजना को रेरा में पंजीकृत कराने की कार्यवाही की जा रही है। रेरा में पंजीकरण कराने एवं भूखण्डों के विक्रय हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।
58/08	सहारनपुर विकास प्राधिकरण की विकास क्षेत्र सीमा में सम्मिलित किये गये नये क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के क्रम में 42 ग्रामों हेतु महायोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मेरठ, बागपत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण के अनुसार मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में नियमावली तैयार करते हुए परिचालन के माध्यम से आहूत विकास प्राधिकरण की 59वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया।

58/09	जनपद सहारनपुर में विश्वकर्मा चौक के निकट ढमोला नदी पर सेतु पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए परियोजना की कुल लागत रू0 694.92 लाख के आधार पर कार्य उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, सहारनपुर से कराये जाने एवं उक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 1308/स0वि0प्रा0/अभि0खण्ड/2019-20 दिनांक 16.03.2020 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-1331/स0वि0प्रा0/अभि0खण्ड/2020-21 दिनांक 16.06.2020 के द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है।
अन्य विषय	मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से - मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अमलगेशन के सम्बन्ध में मेरठ विकास प्राधिकरण एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अनुसार नियमावली तैयार करते हुए प्रस्ताव मा0 बोर्ड से परिचालन के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये।	मा0 अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अनुसार नियमावली तैयार करते हुए प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से आहूत विकास प्राधिकरण की 59वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया।

परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई 59वीं बोर्ड बैठक

एजेण्डा आईटम संख्या	विषय	अनुपालन आख्या
59/01	विकास प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या 58/03 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण की रिक्त सम्पत्ति का स्पष्ट विवरण।	मा0 बोर्ड के सदस्यों को परिचालन के माध्यम से विवरण अवलोकित करा दिया गया है।
59/02	विकास प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या 58/08 में दिये गये निर्देशों के क्रम में मेरठ, बागपत-खेकडा विकास प्राधिकरण के अनुसार मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में नियमावली तैयार करते हुए मा0 बोर्ड से परिचालन के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के संबंध में।	मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नियमावली को स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 858/स0वि0प्रा0/2020-21 दिनांक 20 अगस्त, 2020 द्वारा स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया।
59/03	विकास प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक के "अन्य विषय: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से" में दिये गये निर्देशों के क्रम में अमलगेशन के सम्बन्ध में मेरठ विकास प्राधिकरण एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अनुसार नियमावली तैयार करते हुए प्रस्ताव मा0 बोर्ड से परिचालन के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नियमावली को स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 857/स0वि0प्रा0/2020-21 दिनांक 20 अगस्त, 2020 द्वारा स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया।
59/04	अनधिकृत/ अतिरिक्त निर्माण के विनियमितकरण हेतु शमन योजना-2020 लागू किये जाने के संबंध में।	शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
59/05	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना हेतु विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाली "कृषि" भू-उपयोग का "औद्योगिक" भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से छूट के सम्बन्ध में।	शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
59/06	आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 8-3099/91 /2019-3 दिनांक 17.02.2020 (उ0प्र0 वेयर हाऊसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018)	शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।



## एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 60/03

विषय : सहारनपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित बाई पास के दोनों ओर स्थित ग्रामों का भू-उपयोग सहारनपुर महायोजना-2031 में निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

सहारनपुर महायोजना-2021, सहारनपुर विकास क्षेत्र में वर्तमान तक 102 ग्राम तथा नगर निगम के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए लागू है। सहारनपुर के विकास को देखते हुए शासनादेश संख्या 274/आठ-10-16-3गठन/2008 दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के अनुसार 42 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए सहारनपुर क्षेत्र का विस्तारीकरण किया जा चुका है, जिसका भू-उपयोग निर्धारण सहारनपुर महायोजना-2031 में किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि सहारनपुर के वाह्य क्षेत्र में अम्बाला रोड से देहरादून रोड तक 04 लेन तक (बाई पास) का निर्माण कार्य एन0एच0ए0आई0 द्वारा किया जा रहा है, जिसके आंशिक भाग में ट्रैफिक का संचालन हो रहा है। सड़क के दोनों ओर किसी प्रकार के नियोजन के बिना अर्थात् अनियन्त्रित अवैध निर्माण होने की प्रबल सम्भावना है। इस प्रकार बाई पास के दोनों तरफ स्थित क्षेत्रों में अवैध रूप से भवन निर्माण इत्यादि की गतिविधियाँ संचालित होने के कारण बाई पास सड़क बनाने का औचित्य नहीं रह जायेगा। तदानुसार उपजिलाधिकारी (सदर), उपजिलाधिकारी (नकुड़), उपजिलाधिकारी (रामपुर मनिहारान), सहारनपुर को बाईपास के दोनों ओर राजस्व ग्रामों की सूची समस्त विवरण सहित उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 839/स0वि0प्रा0/2020-21 दिनांक 20 अगस्त, 2020 के माध्यम से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उक्त सड़क के दोनों ओर स्थित ग्रामों को सहारनपुर महायोजना-2031 में सम्मिलित करने हेतु शासन को पुनः सहारनपुर विकास क्षेत्र का विस्तारीकरण किये जाने हेतु अनुरोध किया जाना उचित होगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

8.  
सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर  
दिनांक: 20 अगस्त, 2020  
प्राप्ति डाक बंदी पर

839/स0वि0प्रा0/2020-21

सचिव,  
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,  
सहारनपुर।

वा में,

1. उप जिलाधिकारी, सदर, सहारनपुर।
2. उप जिलाधिकारी, नकुड़, सहारनपुर।
3. उप जिलाधिकारी, रामपुर, सहारनपुर।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि देहरादून चण्डीगढ़ रोड़ पर ग्राम शाहजहांपुर -दिल्ली रोड़-टपरी रोड़ को जोड़ते हुए एक नया बाईपास बना है। उक्त बाईपास के निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के क्षेत्र में आवासीय/व्यवसायिक गतिविधियों संचालित होने की प्रबल सम्भावना है। उक्त मार्ग पर भविष्य में अवैध रूप से संचालित होने वाली आवासीय/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से मास्टर प्लान में सम्मिलित ग्रामों एवं बाईपास के मध्य आने वाले तथा बाईपास के दूसरी ओर बाईपास से अलग समस्त राजस्व ग्रामों के नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल(कृषक/अकृषक होने के स्पष्ट विवरण सहित) सूची की आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मार्ग पर बाईपास के दोनो ओर आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों के नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल(कृषक/अकृषक होने के स्पष्ट विवरण सहित) सूची एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सहारनपुर विकास क्षेत्र के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

सचिव

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,  
सहारनपुर।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित-

- 01- जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर।
- 02- उपाध्यक्ष महोदय, स0वि0प्रा0।

डा. प्रदीप कुमार  
सचिव  
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,  
सहारनपुर।


सचिव  
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,  
सहारनपुर।

जिला अरुण

जिला सिंगर जिला महाराष्ट्र

जिला इंदौर

स  
र  
क  
ह  
उ  
ज



जिला अरुण

जिला अरुण

## एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 60/04

विषय : सहारनपुर विकास क्षेत्र में मिश्रित आवासीय/आवासीय भू-उपयोग में अवैध रूप से विकसित 44 कॉलोनियों के विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0शासन, लखनऊ के शासनादेश सं0 3805/8-3-2008-194काम्प/2001 दिनांक 05 अगस्त, 2008 के अनुपालन में सहारनपुर विकास क्षेत्र में मिश्रित आवासीय/आवासीय भू-उपयोग में अवैध रूप से विकसित 44 कॉलोनिया, जिसकी सूची संलग्न है। प्रत्येक कॉलोनी का सर्वे पूर्व में कराया गया है। उक्त 44 कालोनियों की सूची समस्त क्विरण सहित शासन को पत्रांक 3055/एसडीए/2017 दिनांक 22.12.2017 द्वारा प्रेषित किया गया। प्रस्तावित 44 आवासीय कालोनियाँ - न्यू कपिल विहार कालोनी, विवेक विहार कालोनी, हिम्मत नगर कालोनी, साकेत कालोनी, विनोद विहार कालोनी, मंसूर कालोनी, राधा कृष्ण कालोनी, कांच मिल कालोनी, गत्ता मिल कालोनी, गांधी कालोनी, धोबीवाला कालोनी, गुरुदेव नगर कालोनी, नदीम कालोनी, आजाद कालोनी, साबरी का बाग कालोनी, उत्तम नगर कालोनी, सूरज विहार कालोनी, कमला कालोनी, ताहिर गार्डन कालोनी, पशुपति विहार कालोनी, वेस्ट पन्त विहार कालोनी, दीपक विहार कालोनी, शाकुम्बरी विहार कालोनी, आर0के0पुरम कालोनी, अभिषेक कालोनी, वेद विहार कालोनी, प्रदीप विहार कालोनी, हरी लोक कालोनी, सरस्वती विहार कालोनी, लक्ष्मी नगर कालोनी, विल्स कालोनी, नीलकण्ठ विहार कालोनी, विष्णुपुरी कालोनी, न्यू वेद विहार कालोनी, उत्तराखण्ड कालोनी, दुर्गा विहार कालोनी, पूजा पुरम कालोनी, आनन्द विहार कालोनी, रमेश नगर कालोनी, भगत वाटिका कालोनी, नन्द वाटिका कालोनी, उत्तम विहार कालोनी, सिद्धार्थ नगर कालोनी, नन्द विहार कालोनी है। आवासीय कालोनियों के विनियमितीकरण के मानकों की जांच की गयी है। तदानुसार जहाँ पर सडक एवं पार्क विनियमितीकरण के मानकों से कम उपलब्ध है, में पार्क अधिभार एवं सडक अधिभार लेकर कालोनियों को नियमित किया जाना उचित होगा। इन कालोनियों के नियमित होने के उपरान्त निर्मित भवनों के शमन संबंधी कार्यवाही कर राजस्व प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त शासनादेश दिनांक 05 अगस्त, 2008 में यह व्यवस्था की गयी है कि कालोनियों के विनियमितीकरण के संबंध में विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

उक्तानुसार प्रस्ताव मा0 बोर्ड के विचारार्थ/निर्णयार्थ समक्ष प्रस्तुत।

# सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

प्रेषक,

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,

सहारनपुर।

सेवा में,

निदेशक,

आवास बन्धु,

उत्तर प्रदेश, जनपथ मार्केट,

लखनऊ।

संख्या 3055 / एसडीए / 2017

दिनांक...22.12-2017

विषय: अनाधिकृत कॉलोनी के नियमितिकरण के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 822/आ0व0-1-निदेशक/2017-18 दिनांक 12-06-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि "अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण की गाईड लाईन्स में संशोधन के सम्बन्ध में" विषयक शासनादेश संख्या 3805/8-3-2008-194काम्प/2001 दिनांक 05-08-2008 के विन्दु संख्या 02(11) के अनुसार शासनादेश जारी होने की तिथि तक निर्मित हो चुकी कॉलोनियों और नियमितिकरण की पात्रता में आती है, के ही नियमितिकरण पर विचार किया जायेगा, अर्थात् विनियमितिकरण हेतु कट-ऑफ-डेट शासनादेश जारी होने की तिथि होगी। दिनांक 08-08-2008 को समाचार पत्र दैनिक विश्व मानव में प्रकाशित (दिनांक 05-08-2008 तक अवैध कॉलोनियों) सूची के अनुसार कुल 159 अवैध कॉलोनियों थी, जिसमें से अभी तक 31 अवैध कॉलोनियों नियमित हो चुकी है तथा 43 अवैध कॉलोनियों नियमितिकरण में है। शेष 85 अवैध कॉलोनियों में से 32 अवैध कॉलोनियों के स्थल सर्वे प्लान उपलब्ध है।

अतः उपलब्ध सर्वे प्लान के अनुसार 32 अवैध कॉलोनियों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सचिव,

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,

सहारनपुर।

o/c

## नियमितिकरण की कार्यवाही में प्रचलित कालोनियों की सूची


क्र० स०	कालोनी का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टे० में)	आवासी (प्रतिशत में)	कालोनी में विकास कार्य (प्रतिशत में)	जोन संख्या
1	सूरज विहार कालोनी	3.19	90	70	04
2	हिन्दू विहार कालोनी	2.22	96	80	04
3	हिन्दू नगर कालोनी	10.78	96	80	04
4	साकेत कालोनी	3.4	98	90	04
5	विनोद विहार कालोनी	4.74	90	80	04
6	गंसूर कालोनी	12.00	98	80	07
7	राधा कृष्ण कालोनी	1.51	95	80	06
8	कांच मिल कालोनी	2.10	60	70	06
9	गत्ता मिल कालोनी	1.10	90	90	06
10	गांधी कालोनी	7.12	70	50	06
11	धोवीवाला कालोनी	6.45	95	70	07
12	गुरुदेव नगर कालोनी	7.47	55	40	07
13	नदीम कालोनी	16.24	90	90	07
14	आजाद कालोनी	16.09	95	90	07
15	सावरी का बाग कालोनी	5.59	100	90	07
16	उत्तम नगर कालोनी	2.58	60	70	07
17	सूरज विहार कालोनी	3.15	65	70	07
18	कमला कालोनी	15.24	80	50	07
19	ताहिर गार्डन कालोनी	3.94	95	50	08
20	पशुपति विहार कालोनी	1.27	60	70	10
21	वेस्ट पन्त विहार कालोनी	2.87	65	70	10
22	दीपक विहार कालोनी	0.45	80	60	10
23	शाकुम्बरी विहार कालोनी	1.17	65	60	10
24	आर०के०पुरम कालोनी	5.20	60	50	10
25	अभिषेक कालोनी	8.05	70	50	10
26	वेद विहार कालोनी	7.28	92	70	10
27	प्रदीप विहार कालोनी	2.58	70	70	10
28	हरी लोक कालोनी	3.17	65	70	10
29	सरस्वती विहार कालोनी	1.28	70	70	10
30	लक्ष्मी नगर कालोनी	11.11	90	60	10




सहायता



31	वित्त कालोनी				
32	नीलकण्ठ विहार कालोनी	1.2	70	70	10
33	सिन्धुती कालोनी	1.59	60	40	10
34	सू वेद विहार कालोनी	1.10	70	70	10
35	उत्तराखण्ड कालोनी	1.09	75	40	10
36	दुर्गा विहार कालोनी	20.20	80	70	10
37	पूजा पुरम कालोनी	1.51	70	60	10
38	आनन्द विहार कालोनी	2.02	75	60	10
39	रमेश नगर कालोनी	1.21	90	80	10
40	भगत वाटिका कालोनी	1.51	90	60	10
41	नन्द वाटिका कालोनी	0.80	100	60	10
42	उत्तम विहार कालोनी	7.91	100	80	10
43	सिद्धार्थ नगर कालोनी	1.21	70	60	10
44	नन्द विहार कालोनी	2.26	80	100	10
		2.53	90	80	12

  
 सहायक अभियन्ता  
 महारनपुर विकास प्राधिकरण  
 महारनपुर

  
 सचिव  
 महारनपुर विकास प्राधिकरण  
 महारनपुर

श्री हरमिन्दर राज सिंह

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश सचिव,

सेवा में,

1. ~~उत्तर~~

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण

लखनऊ।

उत्तर एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2008

विषय : अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की गाइडलाइन्स में संशोधन के सम्बन्ध में।  
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 5709/9-आ-3-2001, दिनांक 26 मई, 2001 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की गाइडलाइन्स जारी की गयी है। तत्कम में शासनादेश संख्या : 5438/9-आ-3-2001, दिनांक 2 दिसम्बर, 2003 जिसके माध्यम से उक्त गाइडलाइन्स में संशोधन किया गया है, का भी संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण में विकास प्राधिकरणों के समक्ष आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

- (I) विकास क्षेत्र में स्थित ऐसी अनधिकृत कालोनियों, जो इस शासनादेश के जारी होने की तिथि तक निर्मित हो चुकी हैं और नियमितीकरण की पात्रता में आती हैं, के ही नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा, अर्थात् नियमितीकरण हेतु 'कट-ऑफ-डेट' इस शासनादेश के जारी होने की तिथि होगी।
- (II) 'कट-ऑफ-डेट' तक निमित्त अनधिकृत कालोनियों का विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हीकरण कर उनकी सूची तैयार की जाएगी एवं सभी मुख्य स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाएगी।
- (III) अनधिकृत कालोनियों को निम्न दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा :-
  - (क) ऐसी अनधिकृत कालोनियों जो महायोजना में आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत स्थित हैं।
  - (ख) ऐसी अनधिकृत कालोनियों जो गैर आवासीय भू-उपयोग में स्थित हैं।
- (IV) ऐसी अनधिकृत कालोनियों, जो आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत स्थित हैं के नियमितीकरण की कार्यवाही प्रथम चरण में की जाएगी। गैर आवासीय भू-उपयोग में स्थित कालोनियों के



नियमितकरण के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही निम्न किया जाएगा।

(V) चिन्हित अतिरिक्त कालोनियों का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ले-आउट प्लान, सर्वेरोज प्लान तथा विकास कार्यो की लागत का आगणन की नियमितकरण की गाइड लाईन्स में उल्लिखित मानकों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा ही तैयार कराया जाएगा। उक्त मानकों को कालोनी विशेष की स्थिति एवं स्थल पर व्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

(VI) प्राधिकरण द्वारा ले-आउट प्लान तैयार करते समय कालोनी के अन्तर्गत हो चुके निर्माण तथा रिक्त भूखण्डों को चिन्हित किया जाएगा। ले-आउट प्लान बनाने से पूर्व लाभार्थियों से भूमि के क्रय सम्बन्धी सूत्रावेज/प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाएंगे ताकि यह ज्ञात हो सके कि प्ररनगत भूमि किसी व्यक्ति विशेष को पूर्व में आवासीय/अन्य उपयोग में रजिस्टर्ड तो नहीं है।

इसके अतिरिक्त रिक्त भूखण्डों के स्वामित्व की पुष्टि भी की जाएगी और तदुपरान्त ही रिक्त भूखण्डों को पार्क एवं खुले क्षेत्र, सड़कें, सामुदायिक सुविधाएं/अन्य जन-सुविधाओं के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। उक्त सुविधाओं का प्राविधान करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा रिक्त भूखण्डों को सम्बन्धित भू-स्वामी से क्रय करने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ पार्क एवं खुले क्षेत्र के लिए भूमि उपलब्ध होना सम्भव नहीं है, वहाँ गाइड लाईन्स में निर्धारित व्यवस्थानुसार दण्ड शुल्क लिया जाएगा, ताकि विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनी के आस-पास/निकटतम स्थल पर भूमि की व्यवस्था करके पार्क का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(VII) ले-आउट प्लान का अनुमोदन विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गठित उप-समिति की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

1.	उपाध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2.	मुख्य नगर नियोजक/प्रभारी नियोजन सम्बन्धित विकास प्राधिकरण	सदस्य
3.	मुख्य अभियंता/प्रभारी अभियन्त्रण सम्बन्धित विकास प्राधिकरण	सदस्य
4.	नगर निगम का प्रतिनिधि	सदस्य

(VIII) कालोनी का ले-आउट प्लान प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और तदुपरान्त सम्बन्धित कालोनी के लाभार्थियों से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक लाभार्थी को नोटिस जारी किया जायेगा तथा स्थानीय समाचार पत्रों में एक नोटिस भी प्रकाशित की जायेगी।

नियमितीकरण की सुविधा के लिए करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने की तिथि से लाभार्थी को 06 माह का समय दिया जाएगा। उक्त अवधि में जिन लाभार्थियों द्वारा आवेदन दिये जाते हैं, ऐसे प्रकरणों में अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अनधिकृत निर्माण के हित नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(X) विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार आवेदकों से नियमानुसार दिये गए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, मानचित्र शुल्क, शमन शुल्क तथा अन्य निर्धारित शुल्क का वहर जाएंगे और तदुपरान्त ही व्यक्तिगत भवन मानचित्रों के शमन की कार्यवाही की जाएगी।

(XI) नियमितीकरण एवं भवनों के शमन से प्राप्त होने वाली धनराशि एक अलग खाते में जमा की जाएगी और प्राधिकरण के विचार से जब समुचित धनराशि जमा हो जाए, तो प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित कालोनी के विकास कार्य क्रियान्वित किए जाएंगे।

(XII) लाभार्थियों से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क शासनादेश संख्या : 3712/9-आ-3-2000-26 एल. यू.सी./91, दिनांक 21 अगस्त, 2001 में निहित व्यवस्थानुसार लिया जाएगा। यदि किसी कालोनी में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल/निम्न आय वर्ग के लाभार्थी हों और विकास प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि उनकी आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट दिया जाना अपरिहार्य है, तो विकास प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति के आधार पर ऐसे प्रकरण शासन के अनुमोदनार्थ अग्रसारित किए जाएंगे।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि नियमितीकरण की गाइडलाईन्स में दिए गए उपरोक्त संशोधनों का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अनधिकृत कालोलियों के नियमितीकरण हेतु आवेदन आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरमिन्दर राज सिंह  
प्रमुख सचिव,

संख्या 3805(1)/8-3-2008-194 काम्प/2001, तददिनांक ।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ।

अध्यक्ष, उ.प्र. विद्युत पावर कारपोरेशन लि. लखनऊ।

आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

निदेशक, सूडा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कावास संघ लि. लखनऊ।
10. अध्यक्ष, यू.पी. रेडियो लखनऊ।
11. अध्यक्ष, अर्जेंटिना रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
एच.पी. सिंह  
विशेष सचिव।

## एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 60/05

विषय : प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहें कार्यो/परियोजनाओं में 10 प्रतिशत से अधिक के विचलन की स्थिति में विचलन का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से कराये जाने के सम्बन्ध में।

सहारनपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना समिति की स्वीकृति के उपरान्त विभिन्न स्थलो पर निर्माण/विकास कार्य कराये जा रहे है। स्थल पर कार्य सम्पादन के समय कतिपय निर्माण/विकास कार्य में स्थल की आवश्यकता एवं जनसामान्य की माँग/अनुरोध के आधार पर कार्य कराया जाना अपरिहार्य हो जाता है, जिससे ऐसे कार्य की स्वीकृत लागत में बढ़ोत्तरी होने की सम्भावना रहती है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश सं० 2228/आठ-1-17-126विविध/2017 दिनांक 20.11.2017 के द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि "उ०प्र० विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायो के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति की दिनांक 24.10.2017 की बैठक में यह मत स्थिर हुआ है कि प्राधिकरण एवं अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यो/परियोजनाओं में 10 प्रतिशत से अधिक का विचलन होता है तो विचलन का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से अनिवार्य रूप से कराया जाए"।

अवगत कराना है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण/विकास कार्यो के अन्तर्गत गिल कॉलोनी में निकुंज निवास से नितिन गुप्ता के मकान तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में आगणित राशि रू० 10,55,042.40 को सर्वनिम्न निविदा में मैसर्स श्री कन्सट्रक्शन को 17.76प्रतिशत निम्न अर्थात् रू० 08,67,651.11 दिनांक 09.01.2018 को स्वीकृती प्रदान की गयी। प्रश्नगत स्थल से सम्बन्धित स्थानीय निवासियों द्वारा महापौर महोदय, नगर निगम एवं स्थानीय पार्षद के माध्यम से प्राधिकरण के संज्ञान मे लाते हुए अनुरोध किया गया कि अन्दर की गली मे जल-भराव होगा तथा गली का भी निर्माण कराया जाये। तत्क्रम में प्राधिकरण द्वारा स्थल पर कराये गये कार्य के निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत कार्य को इस अनुबन्ध के अन्तर्गत ही सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों की माँग के अनुसार औचित्य एवं आवश्यकता के दृष्टिगत कार्य को पूर्ण कराया गया। उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु विचलन घनांक 11,96,991.12 (जी०एस०टी० सहित) जो अनुबंध धनराशि रू० 9,32,898.47 (जी०एस०टी० सहित) से 28.30 प्रतिशत अर्थात् रू० 2,45,622.00 अधिक है। अधिक कार्य का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि कार्य में 10प्रतिशत धनराशि की सीमा तक विचलन स्वीकृत किये जाने का अधिकारी उपाध्यक्ष की शक्तियों में निहित है तथा 10प्रतिशत से अधिक विचलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित शासनादेश में प्राविधानित है। इस प्रकार प्रकरण में 28.30 प्रतिशत अधिक अर्थात् रू० 2,45,622.00 का विचलन हुआ है।

अतः उपरोक्त प्रकरणों में शासनादेश सं० 2228/आठ-1-17-126विविध/2017 दिनांक 20.11.2017 में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि में 10 प्रतिशत से अधिक के विचलन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा० के विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

संख्या : 2228 / आठ-1-17-126 वि वि व / 2017

मुकुल सिंहल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
आवास एवं विकास परिषद,  
उ०प्र०।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र०।
3. अध्यक्ष,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक: 20 नवम्बर, 2017

विषय: किसी परियोजना/कार्य में 10 प्रतिशत से अधिक के विचलन की स्थिति में विचलन का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बंधी समिति" की दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 की बैठक में यह मत स्थिर हुआ है कि प्राधिकरण एवं अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्य/परियोजनाओं में 10 प्रतिशत से अधिक का विचलन होता है तो विचलन का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से अनिवार्य रूप से कराया जाये।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

( मुकुल सिंहल )  
प्रमुख सचिव

6

संख्या एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. निदेशक, आवास बन्धु को इत्त आराय से प्रेषित है कि उक्त शासनादेश को आवास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( मुकुल सिंहल )  
प्रमुख सचिव

22/11/17

समस्त विकास प्राधिकरण

आज्ञा से

22/11/2017

22/11/2017

## एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 60 / 06

विषय : डा0 रजनीश दहूजा द्वारा सिटी कन्वेन्शन सेन्टर के भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्तुत मानचित्र संख्या SDA/BP/19-21/0003 के सम्बन्ध में।

डा0 रजनीश दहूजा द्वारा सिटी कन्वेन्शन सेन्टर का मानचित्र स्वीकृति हेतु ग्राम कैलाशपुर के खसरा संख्या 329 एवं 330 पर कुल क्षेत्रफल 10567.61 देहरादून रोड पर मानचित्र पत्रावली संख्या SDA/BP/19-21/0003 प्रस्तुत किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कन्वेन्शन सेन्टर को पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा दिये जाने हेतु डा0 रजनीश दहूजा द्वारा पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

सहारनपुर महायोजना-2021 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग लघुउद्योग के अन्तर्गत आता है। सहारनपुर महायोजना-2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत ऑडिटोरियम की क्रिया अनुमन्य है। शासन द्वारा जारी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन 2019 के अध्याय-22 पर ऑडिटोरियम एवं कन्वेन्शन सेन्टर को एक ही श्रेणी में रखा गया है।

अतः प्रश्नगत स्थल पर कन्वेन्शन सेन्टर की क्रिया को अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।